

This question paper contains 4+2 printed pages]

Your Roll No.

5869

LL.B./VI Term

C

Paper XXVII—JURISPRUDENCE-II

(Theories of Law)

(Old Course)

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 100

(Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.)

Note :— Answers may be written either in English or in Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

टिप्पणी : इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेज़ी या हिन्दी किसी एक भाषा में दीजिए; लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए ।

Attempt any five questions.

All questions carry equal marks.

किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।

सभी प्रश्नों के अंक समान हैं ।

P.T.O.

1. Austin defined Law as. "a rule laid down for the guidance of an intelligent being having power over him." How does Austin use this metaphor in evolving command theory of law ? Also discuss the application of Austinian philosophy by Indian judiciary in various historic and land-mark pronouncements.

ऑस्टिन ने विधि को "उस प्रबुद्ध व्यक्ति के मार्गदर्शन हेतु अधिकथित नियम के रूप में परिभाषित किया था जिसका उस पर नियंत्रण हो ।" ऑस्टिन इस रूपक का विधि के समादेश सिद्धान्त को विकसित करने में किस प्रकार प्रयोग करता है ? भारतीय न्यायपालिका द्वारा विभिन्न ऐतिहासिक तथा युगान्तरकारी उद्घोषणाओं में ऑस्टिन के दर्शन के अनुप्रयोग का विवेचन कीजिए ।

2. How far do you consider Hart's idea of union of primary and secondary rules to be essential to establish a legal system ? Why is the rule of recognition termed as central-feature source of law ?

आप कहाँ तक एक विधिक पद्धति को स्थापित करने में हार्ट के प्राथमिक तथा द्वितीयक नियमों के संयोजन के विचार को आवश्यक मानते हैं ? मान्यता के नियम को विधि का केन्द्रीय-वैशिष्ट्य स्रोत क्यों कहा जाता है ?

3. Discuss Roscoe Pound's theory of "Social Engineering" especially in the context of pluralistic society like India. How far do you think it as guidance to the Indian Courts while dealing with conflicts arising in order to achieve objective of directive principles and guarantee of protection of Fundamental Rights in our Constitution ?

रास्को पाउंड के सामाजिक इंजीनियरिंग के सिद्धान्त का विशेषतया भारत जैसे बहुलवादी समाज के सन्दर्भ में विवेचन कीजिए । हमारे संविधान में निदेशक सिद्धान्तों तथा मूल अधिकारों के संरक्षण की गारन्टी के उद्देश्य को प्राप्त करने में उभरने वाले संघर्षों से जूझते समय भारतीय न्यायालयों के लिए इसको किस सीमा तक दिशा-निर्देशक मानते हैं ?

4. Discuss the theory of evolution of law as propounded by Karl Von Savigny. What are contributions and its implications in modern society ?

कार्ल वोन सेविग्नी द्वारा यथा प्रतिपादित विधि-विकास के सिद्धान्त का विवेचन कीजिए । आधुनिक समाज में इसका योगदान तथा इसकी विवक्षाएँ क्या-क्या हैं ?

5. Comment on the following in the light of Speluncean Explorers Case :

(i) Judicial discretion is to be exercised keeping in mind public opinion and social acceptability of Court's decision.

(ii) Judges don't make law but merely interpret it.

स्पेलनसियन एक्सप्लोरर्स केस को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए :

- (i) जनमत और न्यायालय के निर्णय की सामाजिक स्वीकार्यता को ध्यान में रखते हुए न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग किया जाए ।
- (ii) न्यायाधीश विधि का निर्माण नहीं करते, केवल उनका निर्वचन करते हैं ।

6. According to Kelsen the "Grundnorm" provides unity, validity and purity to the legal normative order. Discuss it in the light of criticism given by various other jurists.

केल्सन के अनुसार "मूल प्रादर्श" विधिक मानकीय व्यवस्था को एकता, वैधता और विशुद्धता प्रदान करता है । विभिन्न अन्य न्यायविदों द्वारा की गई आलोचना को ध्यान में रखते हुए इसका विवेचन कीजिए ।

7. What factors are responsible to the revival of natural law in the 20th Century ? Discuss it with special reference to the theory of natural justice in Indian legal system.

20वीं शताब्दी में नैसर्गिक विधि के पुनरुत्थान के कौनसे कारक उत्तरदायी हैं ? भारतीय विधिक पद्धति में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विशेष सन्दर्भ में इसका विवेचन कीजिए ।

8. Write short notes on the following :

(a) "The movement of progressive societies has hitherto been a movement from status to contract."

(b) Jural postulates.

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

(a) "प्रगतिशील समाजों का संचलन अब तक प्रास्थिति से संविदा तक संचलन रहा है ।"

(b) विधिगत मान्यताएँ ।